न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः झंवर लाल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्याः:— 05/2026

उनवान

1. भागुती देवी पत्नी श्री कालूराम गाडरी नि0 खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0) —— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. दुर्गा सिंह पुत्र श्री पारसदेवी दरोगा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)
2. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री पारस देवी दरोगा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)
3. माया कंवर पुत्री श्री पारस देवी दरोगा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)
4. किशन लाल पुत्र श्री हीरा दरोगा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)
5. मंजू देवी पत्नी श्री महावीर दरोगा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 12.03.2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक **30.12.2025** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व **ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू.अ.नि.क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. में खाता संख्या 445 खसरा संख्या 1812/280 रकाब 0.2529 है0, कुल खसरे 01 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **08.01.2026** को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या **01 लगायत 04** बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या **05** द्वारा आदेशिका पत्र अंकित किया की पत्थरगढी करने पर कोई आपत्ति नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू.अ.नि.क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0) में खाता संख्या 445 खसरा संख्या 1812/280 रकबा 0.2529 है0, कुल खसरे 01 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा